फर्द अहकाम
(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेडा

नारायण सिंह बनाम पदम सिंह

किस्म मुकदमा दावा नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
5/5/2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० निर्णय हेतु तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय मा० भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21/5/2008 को अपास्त किया जाकर यह प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि दोनो पक्षो की उपस्थिति मे पक्षकारो के मौके पर कब्जे के आधार पर तथ्य वस्तु एवं इकरारनामा को ध्यान मे रखते हुए पुनः कुर्रेजात तलब कर गुणावगुण के आधार पर विधि संगत निर्णय पारित किया जावे। न्यायालय के निर्देश के अनुसरण मे तहसीलदार राजाखेडा से पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपने पत्रांक 51 दिनांक 03-01-19 से कुर्रेजात प्रस्ताव इस न्यायालय को भिजवाये गये। उक्त प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी। जिसमे उनके द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव को विधिसम्मत नही बताया। आपत्ति के जवाब मे वकील वादीगण द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव को मा० SO2 RAA भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 25-3-15 के अनुसार ही होना बताया है तथा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। हमने कुर्रेजात प्रस्ताव एवं आपत्ति पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस मे कुर्रेजात प्रस्ताव को विधिसम्मत	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

एव कब्जे को एव इकरारनामे ध्यान मे रखकर बनाया जाना बताया तथा उक्त प्रकार से बटवारे उपयुक्त बताते हुए दावा मुताबिक फर्दैनार प्रस्ताव आन्तिम रूप से डिक्री करने बाबत निवेदन किया व खुर आपत्ति को पूर्णतया गलत बताया।

वकील प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के फर्दैनार प्रस्ताव को विधि सम्मत नही बताये दिनांक 26/5/1989 के इकरारनामे के अनुसार तैयार किया जाना नही बताते हुए फर्दैनार प्रस्ताव निरस्त करते हुए पुनः फर्दैनार प्रस्ताव मंगाने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा फर्दैनार प्रस्ताव पर गौर किया एव बहस अभिभाषकगण पर मनन किया। श्रीमान न्यायालय SO & R HA नसरपुर बोर्ड राजस्थान के निर्णय 18 25-315 के निर्देशो के तहत फर्दैनार प्रस्ताव पर गौर करने पर यह पाया गया कि यह प्रस्ताव दोनो पक्षो के कब्जे को ध्यान मे रखकर तैयार किये गये है। मौके पर लिखित कार्य भी हो जाना बताया गया है। अतः दोनो पक्षो के कब्जे को ध्यान मे रखते हुए फर्दैनार प्रस्ताव विधि सम्मत पाये जाते है तथा मुताबिक फर्दैनार हम दावा आन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक फर्दैनार प्रस्ताव आन्तिम रूप से इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि इस आदेश पूर्व के बटवारे के इश्तहार को निरस्त किया जावे तथा अब वादी नारायण व पुत्र पन्नालाल कौम नाई सा० देह के हिस्से मे आ० ख० 2945/2187 रकबा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म चाही अलिफ लगान 1.23/- व एव ख० न० 2946/2187/2 मध्यमे रकबा 10 बिस्वांसी किस्म चाह अलिफ लगान 0.17/- कुल किता 2 कुल रकबा 4 बिस्वा रहेगा ग्राम भड़वार नं० 1 रहेगी रकबा 529.38 में से 133.35 व.ग. माफ गैर मुमकिन ... पाखिक राजापड़ के नाम दर्ज रहेगी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	कौम वादी के हिस्से में खसरा नं 2946/2187/1 उत्तर दिशा रकबा 0 बिस्वा 10 बिस्वासी किता चाही आबिक लगान 0.53 । रुपिये ग्यारह महेशचन्द्र ना की प्राप्ति रहेगी तथा प्रतिवादी पदम सिंह पुत्र बेनीराम कौम वादी प्र हेतु के हिस्से में आराजी 2946/2187/3 उत्तरी दिशा रकबा 0 बिस्वा 10 बिस्वासी किता चाह आबिक । लगान 0.53/- जो । रुपिये ग्यारह महेशचन्द ना की प्राप्ति रहेगी । राजस्व रिकार्ड मे उपरानुसार पक्षकारान के पृथक पृथक खाते कायम किये जावे पत्रावली डिक्री पारित हो। पत्रावली बैसल मुताबिक ओका दाखिल दफ्तर हो। हुकम सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	